नूरजहां

बनाम

राज्य जरिये डी. एस. पी.

(आपराधिक अपील संख्या 706/2008)

23 अप्रैल, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं पी. स्थसिवम, जे. जे.]

दंड संहिता 1860:

धारा 498ए- दहेज मृत्यु - पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग और पत्नी पर क्रूरता - पत्नी की मृत्यु का कारण गला घोंटना - अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा देखी गई घटना- सभी अभियुक्तों को क्रमशः की धारा 498ए और धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया - पति की चाची को भी धारा 498ए के तहत दोषी ठहराया - उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई - चाची द्वारा चुनौती - निर्णित : ऐसी कोई साक्ष्य नहीं थी जिससे यह दर्शित होता हो कि चाची के द्वारा दहेज की मांग की गयी अथवा दहेज मांगते समय वह उपस्थित हो। इसलिए, उसके विरुद्ध पारित दोषसिद्धि आदेश को अपास्त कर दिया गया।

धारा 498ए - का उद्देश्य – निष्कर्ष : दहेज मृत्यु और क्रूरता के खतरे का मुकाबला करने के लिए है।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार ए1 मृतक पत्नी से शादीशुदा था। शादी के पश्चात् ए1 और उसके रिश्तेदारों ने मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर दुर्व्यहार किया। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, पति और उसके भाई ने रस्सी से मृतका का गला घोंटा और उसकी बहनों ने मृतका के दोनों हाथों को पकड़ लिया। मृतका की मां के करीबी रिश्तेदार ने उक्त घटना को देखा। यह घटना शादी के एक वर्ष के भीतर हुई थी। एफ. आई. आर. दर्ज की गई। अनुसंधान किया गया। इन सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं धारा 498ए के तहत सजा सुनाई गई। अभियुक्त-ए7, जो पति की चाची थी उसे भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने उसकी दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखा। अतः वर्तमान अपील ए-7 द्वारा की गई।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया -

1.1 भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धारा 498ए और साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा की धारा 113बी आपराधिक विधि के (द्वितीय संशोधन) द्वारा संबंधित विधि में सम्मिलित किए गए। धारा 498-ए और

धारा 113-बी में उनके आयाम में पूर्व की क्रूरता की घटनाओं को शामिल किया गया है। धारा 113-बी के लागू होने की अवधि सात वर्ष है, यह धारणा तब उत्पन्न होती है जब कोई महिला शादी की दिनांक से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या करती है। धारा 498ए को लागू करने के लिए यह दर्शित किया जाना आवश्यक है कि शादी के पश्चात् क्रूरता चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, के परिणामस्वरूप किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना या गंभीर चोट पहुँचाना या जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा कारित किया गया। धारा 498ए के उद्देश्य के लिए क्रूरता को स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी और 498ए को पारस्परिक रूप से समावेशी नहीं माना जा सकता है। ये प्रावधान दो अलग-अलग विषयों से संबंधित हैं। यह सही है कि दोनों धाराओं के लिए क्रूरता एक सामान्य आवश्यकता है और उन्हें साबित करना होगा। धारा 498ए का स्पष्टीकरण 'क्रूरता' का अर्थ बताता है। [पैरा 8, 9 और 11] [908-एफ, जी, एच; 909-ए, जी, एच; 910-ए, बी]

2. अपीलार्थी ए-7 के संबंध में- मृतका की माँ ने कहा कि जब वह अपनी पुत्री के घर पर गई थी तब अपीलार्थी ए-1 और ए-2 के साथ वहां उपस्थित थी। उक्त ए-1 ने गहने, रमजान के लिए 5,000/- रुपये और पेश करने की मांग की। उसने स्वीकार किया कि उसने ए-1 और ए-2 को कहा कि वह उक्त सामान एक सप्ताह के भीतर भेज देगी। उसका अगला कथन

कि ए-7 ने कथन किया कि उक्त सामान देने के लिए दो महीने का समय पर्याप्त होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य शब्दों में, उसने दहेज की कोई मांग नहीं की। इस पहलू को पीडब्ल्यू-1 द्वारा स्वीकार किया गया है। विशेष रूप से, अपनी प्रतिपरीक्षा में पीडब्ल्यू 7 ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी पिछले 35 वर्षों से कोयम्बटूर में रह रही है; और जब वह अपनी बेटी के घर गई, तो वह (अपीलार्थी) उपस्थित नहीं थी। इसलिए ऐसी कोई साक्ष्य नहीं थी जिससे यह दर्शित होता हो कि चाची के द्वारा दहेज की मांग की गई अथवा दहेज मांगते समय वह उपस्थित हो। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ आरोप स्थापित करने में विफल रहा। इसलिए, उसकी सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और उसे अपास्त किया जाता है। [पैरा 13 और 14] [910-एफ, एच; 911-ए, बी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 706/2008

मद्रास उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील (एम. डी.) संख्या 283/2004 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.03.2007 से

अपीलार्थी की ओर से - के. रागेंद्र चौधरी, वी. रामसुब्रमण्यन।

प्रत्यर्थी की ओर से - वी. जी. प्रगसम, एस. जे. अरिस्तोतल और प्रभु रामसुब्रमण्यन।

डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया था।

1. स्वीकृति प्रदान की गई।

2. इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया गया और एस.सी. संख्या 1/2004 में विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, करूर द्वारा अभिलिखित और अधिरोपित की गई भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.द.सं.') की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि की पुष्टि की गयी। अपील कई अभियुक्तगण जिनका विचारण हुआ के द्वारा पेश की गई। अभियुक्त संख्या 1 से 5 तक और 7 अर्थात् वर्तमान अपीलार्थी को अपराध का दोषी पाया गया।

3. अपील में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ए-1 और ए-2 भा०दं०सं० की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के दोषी थे और इसलिए, उनके विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। ए-3, ए-4 और ए-5 की भा०दं०सं० की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया था। ए-1 से ए-5 और ए-7 के संबंध में धारा 498-ए के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। अपीलार्थी ए-7 है।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि संक्षेप में इस प्रकार हैं:

ए-1 और सैयद अली फातिमा (इसके बाद मृतका के रूप में संदर्भित) के मध्य विवाह 22.4.2001 को हुआ था। ए-2, ए-1 का भाई है। ए-3 और ए-4, ए-1 की बहनें हैं, ए-5 मां और ए-6, ए-1 के पिता हैं। ए-7, ए-1 की चाची है। पीडब्ल्यू -1 मृतका की माँ है। शादी के समय, पीडब्ल्यू -1 ने 5,000/- रुपये और तीन सोने के आभूषण दिये और दो महीने की अवधि के बाद, ए-1 नौकरी की तलाश में मुंबई चला गया। अन्य सभी अभियुक्तगण ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने की बात कहते हुए मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया। घटना से पहले, ए-1 मुंबई से आया था। पीडब्ल्यू -1 को बुलाया गया। उस समय, अपीलकर्ता ए-1, ए-2 और ए-7 की ओर से मांग की गई थी कि रमज़ान के "सीरवारिसल" के लिए 10 सोना के सिक्के और 5,000/- रुपये की राशि का भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए। ए-7, अपीलार्थी, जो उस समय मौजूद थी, ने पीडब्ल्यू -1 को सूचित किया कि वह दो माह की अवधि के भीतर उक्त मांग का भुगतान कर सकती है।

पीडब्ल्यू -2 का पीडब्ल्यू -1 से निकट संबंध है। 6.3.2002 को वह पल्लापट्टी आया और पीडब्ल्यू -1 के घर गया। पीडब्ल्यू -2 को पीडब्ल्यू -1 द्वारा सूचित किया गया कि अभियुक्त की ओर से दहेज की मांग की गई

थी। ए-1 के घर के बगल के एक पड़ोसी के घर में एक शादी होने वाली थी और इसलिए 8.3.2002 को, पीडब्ल्यू-2 सुबह 11.00 से 12 बजे के बीच वहां आया। वह उक्त पड़ोसी से बातचीत कर रहा था। चूंकि पीडब्ल्यू-2 को पता था कि दहेज की मांग की गई थी, इसलिए उसने उस उद्देश्य के लिए मृतका से उसके घर में मिलने का फैसला किया। जब वह सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो उसे मृतका फातिमा का घर दिखाई दिया। एक खिड़की खुली थी जिससे वह 10 फीट अंदर तक देख पा रहा था। उस समय, ए-1 और ए-2 ने रस्सी से मृतक फातिमा का गला घोंट दिया और ए-3 और ए-4 ने मृतक के दोनों हाथों को पकड़ लिया। यह देखकर पीडब्ल्यू -2 हैरान रह गई। जब वह घटना देख रहा था, ए-2 ने पीडब्ल्यू -2 को देखा। तुरंत, पीडब्ल्यू -2 पीडब्ल्यू -1 के घर पर गया। लेकिन उनकी किसी से मुलाकात नहीं हो सकी और वह अपने पैतृक स्थान सेलम चले गए और 9.3.2002 को वापस लौट आए।

जब पीडब्ल्यू -1 आरोपी के घर गई, तो ए-2 की पत्नी ने अंदर से ताला लगा लिया और बताया कि मृतक फातिमा ऊपर थी। जब पीडब्ल्यू -1 ऊपर गई, तो उसे केवल अपनी बेटी का शव मिला और पीडब्ल्यू -1 को मृतक की गर्दन के चारों ओर एक चोट का निशान दिखाई दे रहा था। पीडब्ल्यू -1 तुरंत वापस आयी और रिश्तेदारों को सूचित किया और पुलिस स्टेशन गयी। घटना के दिन पीडब्ल्यू -13 पुलिस उपनिरीक्षक ड्यूटी पर थे।

पीडब्ल्यू -1 ने लगभग 1700 बजे एक शिकायत दी जिसे प्रदर्श पी-1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 174 के तहत एफआईआर 49/2002. प्रदर्श पी-11, न्यायालय को प्रेषित की गई। एफआईआर की प्रति प्राप्त होने पर, पीडब्ल्यू -14 पुलिस उपाधीक्षक ने जांच शुरू की, घटना स्थल पर गए, निरीक्षण किया और मौका निरीक्षण प्रदर्श पी-2 महाज़ार तैयार किया और प्रदर्श पी-12 रफ स्केच तैयार किया। उन्होंने एफआईआर की एक प्रति राजस्व मंडल अधिकारी पीडब्ल्यू -10 को भी भेजी। पीडब्ल्यू -10, राजस्व मंडल अधिकारी, एफआईआर की प्रति प्राप्त होने पर घटनास्थल पर पहुंचे और गवाहों की उपस्थिति में शव की जांच भी की और जांच रिपोर्ट (इन्क्वेस्ट रिपोर्ट) प्रदर्श पी-9 तैयार की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह आत्महत्या का मामला नहीं था बल्कि हत्या से मौत हुई थी। उन्होंने आरोपियों समेत गवाहों से भी पूछताछ की। उसी के बाद, शव का पोस्टमार्टम सरकारी मुख्यालय अस्पताल, करूर से जुड़े डॉक्टर पीडब्ल्यू -9 द्वारा किया गया। जिन्होंने राय दी कि मृतका की मृत्यु गला घोंटने के कारण दम घुटने से शव परीक्षण से लगभग 24-36 घंटे पहले हुई प्रतीत होती है ।

मूल रूप से, मामला संहिता की धारा 174 के तहत दर्ज किया गया था। बाद में इसे भा०दं०सं० की धारा 498-ए और 302 के अन्तर्गत

परिवर्तित किया गया और एक्सप्रेस एफआईआर (प्रदर्श पी-13) अदालत को भेज दी गई।

अनुसन्धान लंबित रहने के दौरान ए-1 से ए-6 को गिरफ्तार कर लिया गया। ए-2 स्वेच्छा से इकबालिया बयान देने के लिए आगे आया और उसे गवाह की उपस्थिति में पुलिस उपाधीक्षक पीडब्ल्यू -13 द्वारा दर्ज किया गया, जिसके अनुसार ए-2 द्वारा एम.ओ.1- नायलॉन रस्सी को बरामद करवाया गया, जिसे जरिये फ़र्द बरामदगी प्रदर्श पी-1 बरामद किया गया।

जांच पूरी होने पर अनुसन्धान अधिकारी ने रिपोर्ट पेश की। मामला सेशन न्यायालय को कमिट किया गया। आवश्यक आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों का परीक्षण करवाया और 13 प्रदर्श और 3 भौतिक आर्टिकल पर पेश किये। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पूर्ण होने पर, अभियुक्तों से संहिता की धारा 313 के तहत अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में आई आपत्तिजनक परिस्थितियों के बारे में परीक्षण किया गया, जिन्हें उन्होंने झूठा बताया। अभियुक्तगण ने तीन गवाह परीक्षित कराये जो सभी चिकित्सा अधिकारी थे जिनके माध्यम से 5 प्रदर्श भी अंकित किए गए।

आरोपी व्यक्तियों ने खुद को निर्दोष बताया और इसलिए, मुकदमा चलाया गया और दोषसिद्धि की गई और जैसा कि ऊपर बताया गया है, सजा सुनाई गई।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जहां तक वर्तमान अपीलकर्ता का संबंध है, यह दर्शित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसके द्वारा दहेज की कोई मांग की गई थी। गवाहों ने यह नहीं बताया कि जब मांग की गई थी तब वह मौजूद थी। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उसे दोषी ठहराने का निर्देश देने में गलती की।

6. जवाब में, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय के फैसले को सही बताया।

7. धारा 498-ए भा०दं०सं० के अध्याय एक्सएक्स-ए में आती है।

8. भा०दं०सं० की मूल धारा 498-ए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की उपधारणा की धारा 113-बी (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') को क्रमशः आपराधिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 और दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1986 द्वारा संबंधित विधियों में शामिल किया गया है।

9. भा०दं०सं० की धारा 498-ए और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी में क्रूरता की पूर्ववर्ती घटनाओं को शामिल किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के क्रियान्वयन की अवधि सात वर्ष है, यह उपधारणा तब बनती है जब एक महिला ने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली हो।

10. धारा 498 ए इस प्रकार हैः

> "498 ए: किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना: जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
>
> स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "क्रूरता" निम्नलिखित अभिप्रेत है:-
>
> (क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की सम्भावना है या

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति की ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।"

"धारा 113-B भारतीय साक्ष्य अधिनियम- दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा - जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का (45) की धारा 304-ख में है।"

11. धारा 498ए को लागू करने के लिए यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि शादी के पश्चात् क्रूरता चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक,

के परिणामस्वरूप किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना या गंभीर चोट पहुँचाना या जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा कारित किया गया। धारा 498ए के उद्देश्य के लिए क्रूरता को स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है। भा०दं०सं० की धारा 304बी और 498ए को पारस्परिक रूप से समावेशी नहीं माना जा सकता है। ये प्रावधान दो अलग-अलग विषयों से संबंधित हैं। यह सच है कि दोनों धाराओं के लिए क्रूरता एक सामान्य आवश्यकता है और उन्हें साबित करना होगा। धारा 498ए का स्पष्टीकरण 'क्रूरता' का अर्थ बताता है।

12. जिस उद्देश्य के लिए धारा 498ए भा०दं०सं० पेश की गई थी, वह 1983 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 46 को अधिनियमित करते समय उद्देश्यों और कारणों के विवरण में परिलक्षित होता है। जैसा कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दहेज हत्या की संख्या में वृद्धि एक गंभीर चिंता का विषय है। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के कार्य की जांच करने के लिए सदनों की संयुक्त समिति द्वारा बुराई की सीमा पर टिप्पणी की गई है। कुछ मामलों में, पति और पति के रिश्तेदारों की क्रूरता, जो आत्महत्या या हत्या में परिणत होती है संबंधित असहाय महिला, ऐसी क्रूरता से जुड़े एक छोटे से हिस्से का ही गठन करती है। इसलिए, भा०दं०सं०, आपराधिक संहिता में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और साक्ष्य अधिनियम न

केवल दहेज हत्या के मामलों बल्कि पति, ससुराल वालों और रिश्तेदारों द्वारा विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामलों से भी प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपयुक्त हैं। इनके घोषित उद्देश्य दहेज हत्या और क्रूरता के खतरे से निपटना है।

13. जहां तक वर्तमान अपीलकर्ता का प्रश्न है, यह दर्शित करने के लिए सबूत अपर्याप्त हैं कि वह दहेज की किसी भी मांग में शामिल थी। दरअसल, मृतका की माँ ने कहा कि जब वह अपनी पुत्री के घर पर गई थी तब अपीलार्थी ए-1 और ए-2 के साथ वहां उपस्थित थी। उक्त ए-1 ने गहने, रमजान के लिए 5,000/- रुपये और पेश करने की मांग की। उसने स्वीकार किया कि उसने ए-1 और ए-2 को कहा कि वह उक्त सामान एक सप्ताह के भीतर भेज देगी। उसका अगला कथन कि ए-7 ने कथन किया कि उक्त सामान देने के लिए दो महीने का समय पर्याप्त होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने दहेज की कोई मांग नहीं की। इस पहलू को पीडब्ल्यू -1 द्वारा स्वीकार किया गया है। विशेष रूप से, अपनी प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी पिछले 35 वर्षों से कोयम्बटूर में रह रही है; और जब वह अपनी बेटी के घर गई, तो वह (अपीलार्थी) उपस्थित नहीं थी। इसलिए ऐसी कोई साक्ष्य नहीं थी जिससे यह दर्शित होता हो कि चाची के द्वारा दहेज की मांग की गई अथवा दहेज मांगते समय वह उपस्थित हो। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपीलार्थी

के खिलाफ आरोप स्थापित करने में विफल रहा। इसलिए, उसकी सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और उसे अपास्त किया जाता है।

14. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, अभियोजन अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, उसकी सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती और उसे अपास्त किया जाता है। दिनांक 22.2.2020 के आदेश द्वारा उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। बरी किए जाने के आदेश के मद्देनजर जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

15. अपील स्वीकार की जाती है।

अपील की अनुमति दी जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ. **महेन्द्र के० सिंह सोलंकी** (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।